न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 88/2022

अनवान : –

1. भंवरसिंह 2. प्रहलादसिंह 3. सुलतानसिंह 4. रामसिंह 5. पालसिंह 6. सुभाषसिंह पुत्रगण अलखसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

7. सुमेरसिंह पुत्र फकीरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपड़ा तहसील नोहर।

8. धर्मवीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत साकिन मेघाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. जगदीशसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मनीराम पुत्र डुंगरसिह जाति राजपुत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मानसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. हरलालसिह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. धारूसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. पपूसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. भानीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. भोपालसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. बसन्ती पत्नि डूंगरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. उदमी पुत्र प्रभुराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. ओमप्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
13. मनीराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
14. मोहरसिंह पुत्र प्रभुराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
15. रामकुमार पुत्र प्रभुराम जाति जाट साकिन खापडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. कमला पत्नि भूराराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. मांगेराम पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. सीता पुत्री भूराराम जात जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. कृष्ण पुत्र नौरंग जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
20. जयलाल पुत्र नौरंग जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
21. नन्दराम पुत्र नौरंग जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
22. विमला पुत्री नौरंग जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. भींयाराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
24. रामप्रताप पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
25. लखमाराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
26. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
27. गिरधारीसिंह पुत्र अलखसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
28. सरजीतसिह पुत्र फकीरसिंह जाति राजपूत साकिन खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ – कलमगन
29. प्रेमसिह पुत्र कालुसिह।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

— गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(2)आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 15/04/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम की धारा 212 (2) के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 91/90 की कुल 41.3360 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैर सायलान की उपरोक्त आराजी मुतजिकरा राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज है तथा मुश्तरका खातेदारी भूमि पर प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा माना जाता है तथा सायलान के साथ गैर सायलान का काश्त लगान सींव आदि को लेकर झगडा करते है तथा सायलान व तरतीबी गैर सायलान के हिस्सा की भूमि को काश्त नहीं करने दे रहे है, जिससे सायलान अपना खाता व लगान गैर सायलान से किस्म भुमि के अनुसार अलग अलग तकसीम करवाकर अलग अलग खाता कायम करा अलग अलग कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने का गैर सायलान नाजायज फायदा उठाकर वादीगण नाजायज फायदा उठाकर सायलान व तरतीबी गैर सायलान को उनके हक व हिस्सा के बेदखल करने तथा उनके हक व हिस्सा की भूमि काश्त नही करने दे रहे है तथा गैर सायलान ने एक गिरोह बनाकर सायलान व तरतीबी गैर सायलान के स्महमजपउंजम तपहीज से महरूम कर रहे है तथा गैर सायलान ने ूंसमेदमे कायम कर रखी है तथा कानून को अपने हाथ में ले रखा है तथा सायलान व तरतीबी गैर सायल के हक व हिस्सा को दबा रखा है तथा काश्त नहीं करने दे रहे है इसलिये सायलान वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा खोपडा तहसील नोहर खाता संख्या 91/90 कुल तादादी 41.3360 हेक्टेयरको कुर्क करवाकर तहसीलदार (राजस्व) नोहर को ता फैसला दावा रिसिवर नियुक्त करवा पाने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टतया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त सायलान के पक्ष में है। लिहाजा दरख्वास्त मय शपथ पत्र सायलान पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा खोपडा तहसील नोहर खाता संख्या 91/90 कुल तादादी 41.3360 हैक्टेयर जिसका पुरा विवरण दरख्वास्त की मद नम्बर 2 में दर्ज है, को कुर्क किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) नोहर को रिसिवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स0 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि के खाता विभाजन बाबत से ... वाद विचाराधीन है सायल पुन उन्ही तथ्यों के आधार पर वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने ... अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र बिना ठोस कारणों के प्रस्तुत किया गया है जो की खारिज यो... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा उक्त भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा सायलान व तरतीबी गैरसायलान के हक हिस्सा को दबा रख है एवं काश्त नही करने दे रहे है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्सा को दबा रख है एवं काश्त नही करने दे रह। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/04/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 10:59:45 IST
Reason: SelfAttested